

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

2/10/25  
27/10/25

कमांक / भू अ / 2025 / 10029

दिनांक 21/10/2025

प्रेषिति : - श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) महोदय  
नवलगढ

विषय :-उनवानी प्रकरण वीर विक्रम सिंह बनाम कुलदीप आदि मु.न.97/2024 में विभाजन प्रस्ताव  
भिजवाने बाबत ।

प्रसंग :- श्रीमान के आदेश कमांक /राजस्व /2025/77 दिनांक 20.03.2025  
महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी वीर विक्रम सिंह  
बनाम कुलदीप आदि मु.न.97/2024 में निर्णय दिनांक 17.01.2025 की पालना में राजस्व ग्राम  
झाझड. तहसील नवलगढ का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है ।

संलग्न : - मूल विभाजन प्रस्ताव (दो प्रति)

तहसीलदार (भू.अ.)नवलगढ  
तहसीलदार (भू.अ.)नवलगढ  
नवलगढ



**मौका रिपोर्ट**  
( विभाजन प्रस्ताव )

में विकास प्रसाद मीश्रा (नाम) तहसीलदार बनारस न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, बनारस के आदेश क्रमांक 21/2025/77 दिनांक 20/3/2025 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 16/10/2025 समय ..... बजे आराजी खसरा नम्बर-625 रकबा 2.95 ए० वाके क्रमांक 21/2025 पटवार हल्का 31/35 पर श्री वीर विक्रम सिंह पुत्र राजपुत्र सुनील एच 42918 नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, बनारस में विचाराधीन प्रकरण संख्या-9-7/2024 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1	वीर विक्रम सिंह पुत्र	केशव सिंह	21	राजपुत्र	वादी
2	कुलदीप सिंह	केशव सिंह	35	राजपुत्र	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

क्र.सं.	नाम खसरेदार	खसरा नं.	रकबा	वि.सं.	लगाव
1	वीर विक्रम सिंह पुत्र केशव सिंह पुत्र राजपुत्र खसरेदार	625	0.5736	व्य. 2	
2	कुलदीप सिंह	1	0.5736	व्य. 2	

सुनील कुमार  
पटवारी

31-10-2025

**तहसीलदार (भू.स.)**  
नालमद P.T.O

नाम रकारदार

नाम रकारदार	रकसरा म०	रकवा	किंदा	अमाउ
कुलदीप सिंह पुत्र केशर सिंह सिंहा 2/29 अब्बर सिंह, पुत्र पाबुदान सिंह, विमला के वर पुत्री पाबुदान सिंह सिंहा 12/29 ए.ब. प्रयाग केशर पुत्री जवरण सिंह सिंहा 6/29, देवेन्द्र सिंह, शिवा सिंह पिता रमण सिंह सिंहा 6/29 सि.ब. साहू के वर पुत्री - रक. निशोर सिंह सिंहा 3/29 (प्रा.) राजपुर	625 1	2-3764	का. 2	
	1	2-3764	का. 2	

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/ प्रतिवादी.
1	वीर-विक्रम सिंह अब्बेकरा सिंह	राजपुर			वादी
2	कुलदीप सिंह 30 केसर सिंह	राजपुर			प्रतिवादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी.
/	/	/	/	/	/

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.	
1	मनोहर सिंह 8/0 गंगार सिंह	59	राजपुर	9415328109	मनोहर सिंह	
2	केशर सिंह 8/0 गंगार सिंह	53	राजपुर	9415017098	केशर सिंह	

इस प्रकार आज दिनांक 16/10/2025 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।


हस्ताक्षर 16/10/2025  
 पटवारी

हस्ताक्षर  
 भू अ निरीक्षक

हस्ताक्षर  
 तहसीलदार

नाममा <sup>4</sup>इस गणक - समेतकाल तहसील-नवलपरा  
 नामा- भू-उल्लेख वर्ष- 1979-80  
 पैमाना 1 सेंटीमीटर=40 मीटर

5  
 3  
 2  
 1



नाममा उत्तरिणी  
 नाममा उत्तरिणी

नाममा उत्तरिणी  
 नाममा उत्तरिणी  
 (प्र. शास्त्र)

नाममा उत्तरिणी  
 नाममा उत्तरिणी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 97/2024

दायर दिनांक-21.06.2024

1. वीर विक्रम सिंह पुत्र केशर सिंह जाति राजपूत निवासी भैरू बास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद मकान नं0 ई-2/684 जाकीपूरम, सेक्टर एफ लखनउ, उत्तरप्रदेश।

- वादी

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र केशर सिंह
2. रिकूसिंह पुत्र स्व0 झब्बर सिंह
3. आशा कंवर पुत्री स्व0 झब्बर सिंह
4. निशा कंवर पुत्री स्व0 झब्बर सिंह
5. पूनम कंवर पुत्री स्व0 झब्बर सिंह
6. देवेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह
7. प्रताप कंवर पत्नि स्व0 नवरंग सिंह
8. बिमला कंवर पुत्री पाबूदान सिंह
9. लाड कंवर पत्नि स्व0 किशोर सिंह
10. शिवसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी भैरूबास तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
11. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री दीपेन्द्र जाखड़

वकील प्रतिवादी :- एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन  
व स्थाई निषेधाज्ञा।

--:: निर्णय ::--

दिनांक : 31.10.2025

वाद वादी दिनांक 17.01.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू0 अ0/2025/10029 दिनांक 21.10.2025 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम भैरूबास पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 2.9500 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	वीर विक्रम सिंह पुत्र केशर सिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार	625/2	0.5736	बारानी 2
2	कुलदीप सिंह पुत्र केशर सिंह हिस्सा 2/29, झब्बर सिंह पुत्र पाबूदान सिंह, विमला कंवर पुत्र पाबूदान सिंह हिस्सा 12/29 हिस्सा बराबर प्रताप कंवर पत्नी नवरंग सिंह हिस्सा 6/29 देवेन्द्र सिंह, शिवसिंह पिता राम सिंह	625/1	2.3764	बारानी 2

महायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

6/29 हिस्सा बराबर लाड कंवर पत्नीस्व0 किशोर सिंह हिस्सा 3/29 जाति राजपूत			
--	--	--	--

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (फ़ील्ड) नवलगढ जिला झुन्झुनू  
सहायक मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फ़ील्ड-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी :- सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 97/2024

दावा : घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

( वीर सिंह बनाम कुलदीप सिंह आदि )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.10.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1671 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	वीर विक्रम सिंह पुत्र केशर सिंह जाति राजपूत साकिन देह खातेदार	625/2	0.5736	बारानी 2
2	कुलदीप सिंह पुत्र केशर सिंह हिस्सा 2/29, झब्बर सिंह पुत्र पाबूदान सिंह, विमला कंवर पुत्र पाबूदान सिंह हिस्सा 12/29 हिस्सा बराबर प्रताप कंवर पत्नी नवरंग सिंह हिस्सा 6/29 देवेन्द्र सिंह, शिवसिंह पिता राम सिंह 6/29 हिस्सा बराबर लाड कंवर पत्नीस्व0 किशोर सिंह हिस्सा 3/29 जाति राजपूत	625/1	2.3764	बारानी 2

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ